

**विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जगदलपुर**  
(पीठासीन अधिकारी – अध्यक्ष– पीयूष राम साहू  
सदस्य– चित्रा खत्री)

प्रकरण क्रमांक:- 24 / 2026  
संस्थित दिनांक:- 18.08.2026

श्री मेसर्स हाजि मोहम्मद हारुन  
ग्राम फरसगांव बाबा राईस मिल,  
तहसील:- कोण्डागांव, जिला:- कोण्डागांव  
(494-228) (छ0ग0) मो0नं0 9752990786  
बी0पी0क्र0 0001001734

परिवादी/आवेदक

**विरुद्ध**

कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग,  
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड,  
कोण्डागांव (छ.ग.)

उत्तरवादी/अनावेदक

**आदेश**

(आज दिनांक 01-10-2026 को पारित)

1. परिवादी द्वारा विद्युत सप्लाई में रुकावट होने पर शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
2. मामले में उभय पक्षों के मध्य निम्नलिखित तथ्यों पर विवाद नहीं है:- 1. परिवादी को ग्राम फरसगांव स्थित बाबा राईस मिल में गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन बी0पी0क्र0 0001001734 प्रदान किया गया है।
3. स्वीकृत तथ्यों के अलावा परिवाद/शिकायत संक्षेप में इस प्रकार है कि:- विद्युत सप्लाई में रुकावट।
4. प्रस्तुत शिकायत का जो उत्तर उत्तरवादी/अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया है वह स्वीकृत तथ्यों के अलावा संक्षेप में इस प्रकार है कि :- परिवादी मेसर्स हाजि.मो. हारुन बाबा राईस मिल, फरसगांव जिला-कोण्डागांव बिजली आपूर्ति के संबंध में शिकायत किया गया था। जो कि वर्तमान में उक्त शिकायत का निराकरण कार्यपालन अभियंता (संचा0/संधा0) संभाग, छ0स्टे0पॉ0डि0कं0लि0, कोण्डागांव द्वारा कर दिया गया है। परिवादी द्वारा शिकायत वापस लेने संबंधी पत्र दिनांक 02.09.2026 प्रस्तुत किया गया।
5. मामले के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न निर्मित किये जाते हैं :- क्या विद्युत आपूर्ति बाधित हुई एवं निर्धारित समय पर निराकरण किया गया।



*Chitra*

## विवेचना एवं निष्कर्ष

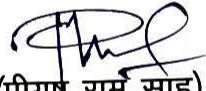
विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष :- विद्युत कनेक्शन क्र0 1001734 में विद्युत आपूर्ति दिनांक 12.08.2026 समय 1:23 PM को बाधित हुई। अनावेदक को संज्ञान में आने पर बाधित विद्युत का निराकरण दिनांक 12.08.2026 समय 3:50 PM को किया गया।

6. उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष उपरांत मैं यह पाता हूँ कि :- परिवादी के शिकायत का निराकरण संबंधित उत्तरवादी द्वारा कर दिया गया है। जिससे परिवादी पूर्णतः संतुष्ट है। अतएव, प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। अतः प्रकरण पूर्णतः निराकृत, प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

7. यदि परिवादी/आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो तो वह इस आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी शांति नगर रायपुर (छ0ग0) में अपील कर सकता है।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर  
टंकित कराया गया

आदेश पारित किया गया

  
(पीयूष राम साहू)

अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना  
(शिकायत) निवारण फोरम,  
जगदलपुर

  
(चित्रा खत्री)  
सदस्य

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना  
(शिकायत) निवारण फोरम,  
जगदलपुर

  
(पीयूष राम साहू)  
अध्यक्ष

विद्युत उपभोक्ता परिवेदना  
(शिकायत) निवारण फोरम,  
जगदलपुर